न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 5600 / 2003 / बाडमेर

1– कुम्भाराम
2– भारूराम
3– मेहराराम
4– प्रहलादराम
5– हीराराम
6– करनाराम
पुत्रान जोराराम जाट निवासी सीढी की बस्ती(खडीन) तहसील रामसर जिला बाडमेर
7– किशनाराम पुत्र बिरधाराम जाट
8– डूंगरा पुत्र बिरधाराम जाट मृतक जरिये वारिसानः–
8/1. पुराराम पुत्र स्व0 डूंगरा
8/2. आईदानराम पुत्र डूंगरा
8/3. भूराराम पुत्र डूंगरा जाट
8/4. अमरू पत्नि डूंगरा जाट (नाम तर्क)
समस्त जाति जाट निवासी सोढों की बस्ती(खडीन) तहसील रामसर जिला बाडमेर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– मोटाराम पुत्र श्री बिरधाराम जाट मृतक जरिये वारिसानः–
1/1. खेताराम पुत्र मोटाराम
1/2. रामाराम पुत्र मोटाराम
समस्त जाट निवासी सोढ़ों की बस्ती(खडीन) तहसील रामसर जिला बाडमेर

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री दूनीचंद ढिढारिया, अभिभाषक अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18—9—03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी मोटाराम ने एक राजस्व वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 बाडमेर के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 183 रकबा 47 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 183/1 रकबा 45 बीघा, खसरा संख्या 182 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 70 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 221 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 221/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 69 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 180 रकबा 55 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 181 रकबा 8 बिस्वा वाके मौजा सोढ़ों की बस्ती में 1/4 हिस्सा वादी/रेस्पोडेंट का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी/अपीलार्थी सं. 1 से 6 का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी/ अपीलार्थी संख्या 8 का व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी/अपीलार्थी संख्या 7 का घोषित किये जाने एवं तदनुसार वादी के हिस्से बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु पेश किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 बाउमेर ने वादी रेस्पोडेंट का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 28—2—02 द्वारा खारिज कर दिया।

3— परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18—9—03 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर वाद डिक्री कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18—9—03 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी पर वादी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा एवं ना ही उसका विवादित आराजी से कोई संबंध था। विवादित भूमि सुजानसिंह वगैरा की जागीर की भूमि थी, जिस पर कब्जे के आधार

अपीलान्टस के पिता व किशना काश्तकार होने के कारण धारा 9 जंमीदारी बिस्वेदार उन्मूलन अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये थे। यह भूमि कभी भी अन्य हिस्सेदारी की शामिल की भूमि नहीं रही। इस भूमि पर जोरा किशनाराम की ढाणी व मकान भी बने हुये है। यह भूमि खसरा नबर 183, 221 की 97 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी तथा 2 बीघा 10 बिस्वा में ढाणी आबादी की भूमि थी। आबादी भूमि का बंटवारा नहीं कराया जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को सेटलमेट विभाग द्वारा बंटवारा करना मानने में रेकार्ड की अनदेखी कर त्रुटि की है क्योकि सेटलमेंट से पूर्व कभी भी चारों हिस्सेदारों की शामिल में खातेदारी भूमि नहीं थी। विवादित भूमि खसरा नंबर 69 व 180 की 84.10 बीघा भूमि भी सुजानसिंह वगैरा की जागीर भूमि थी जिसके टिनेन्ट वादी मोटा व अपीलांट डूंगरा थे। जिनको भूमि पर धारा 9 जंमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये तथा दोनों 8 बिस्वा भूमि पर ढाणियां बनी हुई है तथा दोनों की शामिल काश्त है । इस भूमि पर जोरा व किशना का कब्जा काश्त नहीं है व कभी भी खातेदारी भूमि नहीं थी। हमेशा से ही जोरा, किशना तथा डूंगरा व मोटा उलग अलग रहते रहे है तथा उनकी भूमियां अलग अलग है। जिस पर ध्यान दिये बिना इन दोनों भूमियों को एक साथ सह–काश्तकारों की भूमि मानकर गलत निर्णय दिया गया है वह निस्तनीय है। जोरा व किशना द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 183 व 221 का आपस में बंटवारा कर लिया जिसमें 183/1 की 45 बीघा भूमि किशना के नाम खातेदारी में दर्ज की गई तथा 183 की 47 बीघा 12 बिस्वा भूमि जोरा के वारिसों के नाम खातेदारी में दर्ज की गई। इस बंटवारे के बारे में मोटाराम को ऐतराज करने का कोई हक नहीं है। अपीलान्टस की खातेदारी भूमि 183 व 221 की 97 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा भूमि रेलवे व रोड़ में चली गई । वर्तमान में दावा करने से पहले रेकार्ड में केवल 92 बीघा भूमि ही खातेदारी में है जिसको 100 बीघा भूमि मानकर जानबूझकर गलत दावा पेश किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी मोटा द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकार्ड के विरूद्ध मनमाने तौर पर त्रुटिपूर्ण निर्णय दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जुबानी शहादत के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा जुबानी शहादत के आधार पर वादी को अपीलान्टस की खातेदारी भूमि पर सह–हिस्सेदार गलत ढंग से धोषित किया गया है। अपीलीय न्यायालय में पर्चा लगान गलत जारी होने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया। क्योकि सेटलमेंट से पूर्व का कोई रेकार्ड वादी द्वारा पेश ही नहीं किया गया और न ही विवादित भूमि को बिरधाराम की खातेदारी भूमि होने का कोई दस्तावेज पेश किया गया जिसके अभाव में वादी को दावा पेश करने का अधिकार नहीं था। पर्चा लगान जागीरदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत जारी किये गये थे। जिसके ऐतराज जागीर कमिश्नर के यहां पेश किये जा सकते थे । धारा 46 के तहत जागीर रिजम्पशन अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही को दीवानी व राजस्व न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के तहत हकों की घोषणा धारा 13, 15 व 19 के तहत की जा सकती है। विवादित भूमि के पैतृक होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। मौखिक शहादत के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदार या सहकाश्तकार नहीं माना जा सकता। परीक्षण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5— अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट वादी मोटाराम द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 बाडमेर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 28—2—02 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18—9—03 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा मण्डल में पेश की गई है। अपीलीय न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री करने का मुख्य आधार यह लिया है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है और मूल खातेदार बिरधा के चारो पुत्र जोरा, डूंगरा, मोटा व किशना प्रत्येक का इसमें एक चौथाई एक चौथाई हक हिस्सा है तथा अपीलार्थी सं. 1 से 6 जोरा के उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी/ वर्तमान अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एवं अपील स्तर पर उक्त तथ्यों का खण्डन नहीं किया है। खण्डन के अभाव में वादी/रेस्पोडेंट के वाद में वर्णित तथ्यों को नहीं मानने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकार्ड में इंद्राजात के प्रश्न पर वादी/रेस्पोडेंट द्वारा वाद पत्र में स्पष्ट अंकन करना कि पर्चा लगान गलत जारी हुए और शिक्षा के अभाव के कारण तथा मौके पर कब्जा बदस्तूर चले आने के कारण त्रुटि बाबत जानकारी समुचित समय में नहीं हो पायी का अपीलीय न्यायालय ने समर्थन करते हुये जहां राजस्व रिकार्ड के इंद्राजात (जो पर्चा लगान /सेटलमेण्ट पर आधारित है) की सत्यता एवं सही होने बाबत आक्षेप वाद में लिया गया हो, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मौखिक साक्ष्य का महत्व नकारा नहीं जा सकता अंकित करते हुये वाद में वर्णित तथ्यों का युक्तियुक्त एवं स्पष्ट खण्डन नहीं होने की स्थिति में वादी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत वादी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री किया है, जो विधिसम्मत् नहीं है।

7— विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट का वाद खारिज करते हुये यह निष्कर्ष अंकित किया है कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार इतने लम्बे वर्षो के पश्चात् यह कहा जाना कि सेटलमेंट में भूमि का रकबा कम ज्यादा दर्ज है, उचित नहीं है तथा मात्र मौखिक साक्ष्य से वादी का वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि वक्त सेटलमेंट वादी व प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम भूमि दर्ज होती तो कम—ज्यादा हिस्से पर विचार किया जा सकता था। वादीगण ने विवादित भूमि बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्वजों के नाम का कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद को डिक्री किया जाना उचित नहीं माना है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है।

8— विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये दावा खारिज किया था जिसमें कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जब तक वादी अपने वाद को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रदर्श—4 के अनुसार भू—प्रबंध (सेटलमेंट)विभाग द्वारा खसरा नं. 69, 180 व 181 कुल किता 3 रकबा 84 बीघा 16 बिस्वा का पर्चा लगान डूंगरा, मोटा पिता बिरधा के नाम जारी किया है तथा प्रदर्श—5 के अनुसार खसरा नं. 183 ढाणीवाला, 221 ढाणीवाला, 70 ढाणी, 182 ढाणी कुल किता 4 रकबा 100 बीघा 8 बिस्वा का पर्चा लगान जोरा, किशना पिता बिरधा के नाम जारी किया है। उपरोक्त दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रथम सेटलमेंट के समय से ही वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक—पृथक दर्ज थी। प्रदर्श 2 व 3 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक—पृथक दर्ज है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सेटलमेंट पर्चा लगान को गलत मानते हुये मौखिक साक्ष्य के आधार पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादी का वाद डिक्री कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वादीगण का वाद सिद्ध नही होने की स्थिति में ही विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ निष्कर्ष अंकित कर वादी का वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर वादी की अपील दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत मात्र मौखिक साक्ष्यों को तरजीह देते हुये स्वीकार की है तथा वादी का वाद डिक्री करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

9— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18—9—2003 को निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर, मु. बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28—2—02 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष